संशोधन / महत्वपूर्ण

संख्या-10 / 2016 / 1418 / 31-2016-21 / 2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊः दिनांकः 10 जून, 2016

विषयः-शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप के अन्तर्गत सम्मिलित योजना के नाम में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-9 / 2016 / 1237 / 31-2016-21 / 2015 दिनांक 16 मई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु 03 सदस्यीय प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप में आपके विभाग की साइकिल ट्रैक परियोजना को सम्मिलित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में क्रमांक - 3 पर अंकित साइकिल ट्रैक परियोजना के स्थान पर "साइकिल हाई-वे" परियोजना पढ़ा जाए। तद्नुसार उपर्युक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार साइकिल हाई-वे परियोजना की समीक्षा कराने का कष्ट करें। शेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्देश यथावत रहेगें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/2016/1418(1)/31-2016-21/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3- श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-10/2016/1418(2)/31-2016-21/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।